

Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलिदापुर (बिजनौर)

जनाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं० 155 / 2016-17

वाद का प्रकार - बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 30(a) के तहत जारी एवं कर्रैन्स में संबंधित।

19/7/16

झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/सं० दिनांक 13.05.2016 सदरपत्र की संयुक्त नुस्खी निदेशक भू-सूचना-सह-निवेश सचिव, सरकार एवं भूमि सुधार विभाग का सं० सं०-3-खास/निवि-138/05/2308/सं० दिनांक 03.09.1956 एवं सं०-पट्टे गवर्नर विभागीय परिपत्र सं०-514/सं० दिनांक 09.12.1956 में निहित निवेश के अनुमति नुस्खी निदेशक द्वारा भूमि को कानून की गयी जनाबंदी को जॉब गवर्नर की गई। जॉब के क्रम में हस्ता करमचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिक्रिया कि जॉब है कि निनाबंदी विवरणी की नुस्खी -

मौजा होखरा थाना नं० 42 खण्ड सं० 138 प्लॉट सं० 100 एकड़ भूमि जो भूमिगत खास जनाबंदी बिहार (झारखंड) सरकार के खास की सरकारी भूमि है तिराकी जनाबंदी कर मौजा के प्लॉट-1, एवं जनाबंदी रद्द पुलका मौली, मे० रफा मौली के नाम से कानून है।

इसका कर्नाचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉबोपसाना उपयुक्त विवरणी की नुस्खी के तहत कानून जनाबंदी को रद्द प्रतिक्रिया किया गया है।

इसका कर्नाचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा रजिस्ट्रार जॉब प्रतिक्रिया से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जनाबंदी बिना कानून एकाधिकारी के आदेश के/अवेद कर्नाचारी के आधार पर/अवेद कोडकर कर्नाचारी के आधार पर/अवेद कानून निवारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कानून की गई है जिसका लक्ष्य निजी लाभ एवं राज्य का हित कारित करना है।


प्रथम नुस्खी उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की रजिस्ट्रार जनाबंदी अवैध प्रतीत होती है तिराकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 30(a) के तहत जॉब किया जना एंलसीय प्रतीत होता है।

अतः संबंधित जनाबंदी रद्द को नोटिस दिनांक 13.05.2016 सं०-पट्टे र. संबंधित भूमि वसतवेजा/निर्मित लगान रसीद की मांग कर उसे उनको कारण देखा कर कि क्या उक्त जनाबंदी को अवैध माना हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 30(a) के तहत रद्द प्रतिक्रिया को रद्द करने हेतु अनुसूचित प्रतीत जना।

अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें:

लेखपित एवं संबंधित

अंचल अधिकारी
बलिदापुर।


19/7/16
अंचल अधिकारी,
बलिदापुर।

विवरण
जो 10/07/16
19/7/16

1/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत/रैयत के वंशज न्यायालय में अनुपस्थित। उनके अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है, कि उनके पास उपरोक्त भूमि से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे।

गाथा
अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

बाद अनिलेख संख्या- 155 / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), B.L.R Act, 1959)

सूचना

बनाम

पुस्तवा गौली पिठ रूपा गौली
साठ जैतारा

सत्य द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बीजा- जैतारा थाना नं०- 42
खाला नं०- 138 खेसरा नं०- 100 रकबा 1/100 सम्बंधित आपके नाम से
80 नं० के प्लॉट- II भाग के प्लॉट पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अचल निरीक्षक के माध्यम से जॉबंपरान्त सदिध प्रतिवेदित किया है।

आएव आप उक्त संकंध में दिनांक- 1/8/16 को समय- 11:00 बजे पूर्वार्हत में उक्त
भूमि का रिहार्स-न, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फर्म A एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परधाना एवं अन्य वॉस साधनों की नूतन प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोदस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सत्य रहे कि अन्यथा कि स्थिति में सत्य जायेगा कि तबत सत्य में आपका कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिबद्ध अनुसारा कर ली जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जारी।

दिधि-

मुहर

स्थान-

अचल अधिकारी

शालिग्रामपुर

2/8/16

सेवा राम सोहन

जोशिम वामिका
-योगी शय सपड महम